प्रेस विज्ञप्ति
18.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने झारखंड के मनरेगा घोटाला मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी (दोनों कार्यकारी अभियंता) से संबंधित 22.47 लाख रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह उक्त मामले में जारी किया गया चौथा अनंतिम कुर्की आदेश है। इस अनंतिम आदेश सहित अब तक उक्त मामले में कुल 106.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की/जब्ती की जा चुकी है।

ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कार्य में 18 करोड़ रुपये के गबन के संबंध में झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज 16 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, झारखंड पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र से पता चला कि आर बी पी सिन्हा, कनिष्ठ अभियंता, आर के जैन (अब दिवंगत), सहायक अभियंता, शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी, दोनों कार्यकारी अभियंता 18.06 करोड़ रुपये के संयुक्त गबन में शामिल थे।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 06.05.2022 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उक्त अभियंताओं से संबंधित परिसरों और खूंटी जिले की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल आईएएस से संबंधित परिसरों पर कई तलाशी ली थी जिसके दौरान 19.58 करोड़ रुपये की नकदी बरामद एवं जब्त की गई थी। इसके अलावा, इस मामले में तीन लोगों राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया है तथा राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, पूजा सिंघल, अभिषेक झा, जय किशोर चौधरी, आरके जैन (मृतक), शशि प्रकाश और सीए सुमन कुमार के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें जिसमें मुकदमा प्रगति पर है पहले ही माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष दायर की जा चुकी हैं।

****